

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून, द्वारा दिनांक-18.07.2023 से पूर्व अतिक्रमण अभियान के दौरान जब्त सामग्री को नीलाम किये जाने हेतु विभागीय स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। उक्त सामग्री नीलाम किये जाने से पूर्व नगर निगम द्वारा जब्त सामग्री के स्वामी को सामग्री की पहचान कर साक्ष्य उपलब्ध कराने एवं नियमानुसार जुर्माने की धनराशि को नगर निगम में जमा कराने के उपरांत अवमुक्त कराने हेतु इस सार्वजनिक सूचना द्वारा दिनांक- 22.09.2023 से 28.09.2023 तक एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। दिनांक- 28.09.2023 के उपरांत उक्त को नीलाम कर दिया जायेगा, अंतिम तिथि के उपरांत दिनांक-18.07.2023 से पूर्व अतिक्रमण अभियान के दौरान जब्त की गयी सामग्री को अवमुक्त किये जाने हेतु कोई भी दावे स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।


नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

पत्रांक- 900/नगमि अयुक्त/2023

दिनांक - 20/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. सम्पादक, दैनिक जागरण समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में आगामी अंक के कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल एवं समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. सम्पादक, हिन्दुस्तान समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में आगामी अंक के कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल एवं समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. आई0टी0 ऑफिसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त सार्वजनिक सूचना सम्बन्धी समस्त विवरण नगर निगम देहरादून की वेबसाईट- [www.nagarnigamdehradun.com](http://www.nagarnigamdehradun.com) में तत्काल अपलोड करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम कार्यालय पर चस्पा करने हेतु।

  
20/09/2023  
उप नगर आयुक्त  
नगर निगम देहरादून।